भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 231
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 05 फरवरी, 2024
16 माघ, 1945 (शक)

तस्करी द्वारा ले जाई गई प्राचीन वस्तुओं की वापसी हेतु समझौता ज्ञापन

231. **श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:**
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान तस्करी द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में ले जाई गई कितनी प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई गई हैं;
(ख) क्या सरकार ने भारत की सांस्कृतिक पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ने उक्त तस्करी की गई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने के लिए कई देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 314 पुरावशेष भारत वापस लाए गए हैं। देश-वार सूची निम्नानुसार है:

देश	2019	2020	2021	2022	2023	जोड़
संयुक्त राज्य अमेरिका	_	_	157	_	105	262
यू. के.	1	5	1	1	7	15
कनाडा	_	_	1	_	_	1
अस्ट्रेलिया	1	3	_	29	2	35
इटली	_	_	_	_	1	1
जोड़	02	08	159	30	115	314

(ख) और (ग): जी, हां। जब कभी किसी पुरावशेष के चोरी होने की सूचना प्राप्त होती है संबंधित पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की जाती है और चोरी हुए पुरावशेष को ढूंढने और इसके अवैध निर्यात को रोकने हेतु निगरानी रखने के लिए सीमा शुल्क निकासी चैनलों सहित विधि प्रवर्तन एजेंसियों को ''लुक आउट नोटिस' जारी किया जाता है। यदि पुरावशेष का पता लग जाता है तो इसकी प्राप्ति के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय करके मामले में आगे कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ड.): ऐसे किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। यद्यपि हमने जी-20 के दौरान सांस्कृतिक कार्य समूह में चर्चा के दौरान प्रत्यार्पण के मुद्दे को संबोधित करने का प्रयास किया है। इसका विषय 'री (एड) ड्रेस: रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स' था।

*****